वनस्थली विद्यापीठ

कायकर्ता पेंशन योजना, 1995

1. **नाम संक्षेप, तथा लागू होना**

1. यह योजना कार्यकर्ता पेंशन योजना कहलायेगी ।
2. कार्यकर्ता पेंशन योजना, विद्यापीठ के उन सभी कार्यकर्ताओं पर लागू होगी जो प्रोविडेन्ट फण्ड के सदस्य है या भविष्य में प्रोविडेन्ट फण्ड के सदस्य बनेगें किन्तु सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने के पश्चात् नियुक्त/पुर्ननियुक्त किये गये कार्यकर्ताओं पर यह योजना लागू नहीं होगी ।

2. **परिभाषाएँ :**

1. विद्यापीठ से तात्पर्य है - वनस्थली विद्यापीठ
2. "वास्तविक सेवाह्न (एक्च्यूल सर्विस) का तात्पर्य है - वनस्थली विद्यापीठ स्टाफ प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट का सदस्य बनने की तारीख से वनस्थली विद्यापीठ से कार्यमुक्त होने तक की गई सेवा की कुल अवधि ।
3. "अंशदायी सेवाह्न (कन्ट्रीब्यूटरी सर्विस) का तात्पर्य है - ***वह अवधि जिसके लिए कार्यकर्ता पेंशन निधि के लिए अंशदान दिया गया है ।***
4. "पात्र सदस्यह्न (एलिजिबल सदस्य) का तात्पर्य है - स्टाफ प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट का प्रत्येक सदस्य ।
5. परिवार (फैमिली) का तात्पर्य है :
   (अ) कार्यकर्ता पेंशन योजना के पुरुष सदस्य के मामले में पत्नी
   (ब) कार्यकर्ता पेंशन योजना के महिला सदस्य के मामले में पति और
   (स) कार्यकर्ता पेंशन योजना के सदस्य के पुत्र और अविवाहित पुत्रियाँ
   स्पष्टीकरण :- "पुत्रह्न और "पुत्रियोंह्न के निहितार्थ में मृत्यु पूर्व सदस्य द्वारा वैधानिक रुप से गोद लिये गये बच्चे भी शामिल है ।
6. पेंशन (पेन्शन) का तात्पर्य है-कार्यकर्ता पेंशन योजना के अन्तर्गत देय पेंशन ।
7. "अनाथह्न (आरफान) से तात्पर्य है - वह व्यक्ति जिसके माता या पिता कोई भी जीवित नहीं है और मासिक विधवा/विधुर पेंशन प्राप्त कर रहा हो ।
8. "वेतनह्न (पे) का तात्पर्य है - वह वेतन जिस पर भविष्य निधि की कटौती की जाती है ।
9. वनस्थली विद्यापीठ स्टाफ प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट में परिभाषित शब्द योजना जो कि इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये है, का वही तात्पर्य होगा जैसा उन्हें वनस्थली विद्यापीठ स्टाफ प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट में दिया गया है ।

3. **कार्यकर्ता पेंशन की सदस्यता :**

पैराग्राफ 1 के उप पैरा (2) के अधीन रहते हुए, यह योजना उस प्रत्येक कार्यकर्ता पर लागू होगी जो इस योजना के प्रारम्भ होने के तत्काल पहले वनस्थली विद्यापीठ स्टाफ प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट का सदस्य रहा हो या भविष्य में स्टाफ प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट का सदस्य बनता हो ।

4. **शंकाओं का निराकरण :-**

कार्यकर्ता पेंशन योजना से संबंधित समस्त शंकाओं का निराकरण निदेशक वनस्थली विद्यापीठ द्वारा किया जाएगा ।

5. **पात्र सेवा (एलिजिबल सर्विस) का निर्धारण**

पात्र सेवा का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा ।

कुल वास्तविक सेवा निकटतम पूर्ण वर्ष में गिनी जावेगी । छः माह या अधिक की सेवा के भाग को पूर्ण वर्ष माना जावेगा जबकि छः माह से कम की सेवा को छोड दिया जावेगा ।

6. **पेंशन योग्य सेवा (पेंशनबल सर्विस) का निर्धारण**

1. किसी सदस्य की पेंशन सेवा का निर्धारण उसकी तरफ से लगातार पात्र सेवा के रुप में भविष्य निधि के लिए प्राप्त अंशदान के आधार पर किया जायेगा ।
2. उन सदस्यों के मामले में जिन्होनें 20 वर्ष या अधिक की लगातार पात्र सेवा की हो तथा सेवानिवृत हो रहा हो या सेवानिवृति से पूर्व ही विद्यापीठ छोड रहे हो तो उनकी पेंशन योग्य सेवा 2 वर्ष का लाभ जोडकर बढा दी जायेगी ।
3. उन सदस्यों के मामले में जिन्होनें 30 वर्ष या अधिक की लगातार पात्र सेवा की हो तथा सेवानिवृत हो रहा हो या सेवानिवृति से पूर्व ही विद्यापीठ छोड रहे हो तो उनकी पेंशन योग्य सेवा 5 वर्ष का लाभ जोडकर बढा दी जायेगी ।
4. अवैतनिक अवकाश की अवधि को पेंशन योग्य सेवा में कम किया जाएगा ।

7. **पेंशन योग्य वेतन (पेंशनेबल सेलेरी) का निर्धारण**

1. सेवानिवृति या विद्यापीठ छोडने की तारीख का मासिक वेतन (वह वेतन जिस पर भविष्य निधि अंशदान की कटौती हुई है)
2. दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कार्यकर्ताओं के वेतन की गणना विद्यापीठ छोडने की तारीख के दिन प्राप्त दैनिक मजदूरी को 26 से गुणा करके मासिक पेंशन योग्य वेतन की गणना की जायेगी ।
3. पेंशन योग्य वेतन अधिकतम रुपये 6500/- (रुपये छः हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिमाह तक सीमित रहेगा ।

8. **मासिक सदस्य पेंशन (मन्थली मेम्बर्स पेंशन)**

1. सदस्य
   - अ) यदि वह 20 वर्ष या अधिक की पात्र सेवा कर चुका हो और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत होता है, तो वृद्वावस्था (सुपरएन्यूएशन) पेंशन का,
   - ब) यदि वह 20 वर्ष या अधिक की पात्र सेवा कर चुका हो और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत होता है या अन्य कारण से नौकरी करना बन्द कर देता है तो सेवानिवृति पेंशन का तथा,
   - स) यदि वह 10 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम की सेवा कर चुका हो तो अल्प सेवा पेंशन का अधिकारी होगा ।
2. वृद्वावस्था पेंशन या सेवानिवृति पेंशन की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जायेगी तथा मासिक सदस्य

पेंशन $= \frac{\text{पेंशन योग्य वेतन} \times \text{पेंशन योग्य सेवा}}{70}$ = किन्तु न्यूनतम पेंशन रुपये 800/- प्रतिमाह होगी ।

एवं अल्प सेवा पेंशन की राशि की गणना पहले उपरोक्त सूत्र के अनुसार की जावेगी, यह मानते हुए की सदस्य 20 वर्ष की पात्र सेवा कर चुका है । इस प्रकार प्राप्त राशि को लगभग 3 प्रतिशत प्रत्येक उस वर्ष के लिए कम कर दी जायेगी जिससे पात्र सेवा 20 वर्ष से कम हो, लेकिन अधिकतम कमी 25 प्रतिशत होगी किन्तु न्यूनतम पेंशन रुपये 450/- प्रतिमाह होगी । अल्प सेवा के मामलों में 20 वर्ष की सेवा से कम की गई सेवा हेतु पेंशन की गणना के लिए वर्षवार प्रतिशत निम्नतालिका अनुसार निर्धारित किया गया है :-

19 वर्ष की सेवा पर 3% की कमी अर्थात 97.00%
18 वर्ष की सेवा पर 97से 2.91% की कमी अर्थात 94.09%
17 वर्ष की सेवा पर 94.09 से 2.82% की कमी अर्थात 91.27%
16 वर्ष की सेवा पर 91.27 से 2.74% की कमी अर्थात 88.53%
15 वर्ष की सेवा पर 88.53 से 2.66% की कमी अर्थात 85.87%
14 वर्ष की सेवा पर 85.87 से 2.57% की कमी अर्थात 83.30%
13 वर्ष की सेवा पर 83.30 से 2.50% की कमी अर्थात 80.80%
12 वर्ष की सेवा पर 80.80 से 2.43% की कमी अर्थात 78.37%
11 वर्ष की सेवा पर 78.37 से 2.35% की कमी अर्थात 76.02%
10 वर्ष की सेवा पर 76.02 से 1.02% की कमी अर्थात 75.00%

9. **मासिक पेंशन का पात्र बनने से पहले ही नौकरी छोडने पर लाभ** :-

यदि कोई सदस्य नौकरी छोडने या 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने की तारीख जो भी पहले हो, को पैरा 6 में दर्शायी पात्र सेवा पूरी नहीं करता है तो सदस्य द्वारा पेंशन निधि को दी गयी राशि, विद्यापीठ अंशदान एवं ब्याज के साथ लौटा दी जाएगी । ब्याज की दर वही होगी जो स्टाफ प्रोविडेन्ट फण्ड ट्रस्ट में है ।

10. **सेवा के दौरान स्थायी एवं पूर्ण अपगंता पर लाभ :-**

1. सदस्य, जो नियोजन के दौरान स्थायी रुप से और पूर्ण रुप से अपंग हो गया हो, पैरा 8 के उप पैरा 2 के अन्तर्गत जैसा भी मामला हो, सदस्य पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा, बावजूद इसके कि पैराग्राफ 8 के अंतर्गत पेंशन का हकदार बनने के लिए उसने पेंशन योग्य सेवा नहीं की हो परन्तु पेंशन निधि में कम से कम एक माह का अंशदान दे चुका हो ।
2. ऐसे मामलों में मासिक पेंशन स्थायी एवं पूर्ण अपंगता की तारीख से अगली तारीख से देय होगी और वह सदस्य के जीवन पर्यन्त जारी रहेगी ।

11. **सदस्य की मृत्यु पर परिवार को लाभ :-**

1. यदि सदस्य की
   (अ) यदि उसने कार्यकर्ता पेंशन निधि में कम से कम एक माह के लिए अंशदान दे दिया हो और सेवा में रहते हुए
   या
   (ब) मासिक सदस्य पेंशन प्रारम्भ होने के पश्चात, मृत्यु हो जाती है तो परिवार पेंशन सदस्य की मृत्यु की तिथि से अगली तारीख से देय होगी ।
2. (अ) मासिक विधवा/विधुर पेंशन
   (क) उप पैरा (1) के खण्ड (अ) में आने वाले मामलों में, मासिक सदस्य पेंशन के बराबर, जो के सदस्य के उसकी मृत्यु तिथि पर सेवानिवृत होने पर मिलती या रुपये 450/- जो भी अधिक हो ।
   (ख) उप पैरा (1) के खण्ड (ब) में आने वाले मामलों में, मासिक सदस्य पेंशन का 50 प्रतिशत जो कि सदस्य के नौकरी छोडने की तारीख को सेवानिवृत होने पर मिलती या रुपये 450/- प्रतिमाह जो भी अधिक हो ।
   (ब) मासिक विधवा पेंशन विधवा की मृत्यु/पुनर्विवाह, जो भी पहले हो तक देय होगी ।

टिप्पणी : ऐसे मामले में जहाँ सेवा में रहते समय तक अर्थात सेवानिवृत/सेवानिवृति पूर्व विद्यापीठ छोडने के समय ही दो या अधिक पत्नियाँ हो, वरिष्ठतम जीवित विधवा को परिवार पेंशन देय होगी । उसकी मृत्यु पर अगली वरिष्ठतम विधवा यदि कोई हो, को देय होगी । वरिष्ठतम शब्द का तात्पर्य विवाह की तारीख से होगा ।

3. **मासिक संतान पेंशन**
   (अ) परिवार की परिभाषा में आने वाली मृतक सदस्य के यदि कोई जीवित संतान हो, वे मासिक विधवा/विधुर पेंशन के अतिरिक्त मासिक पेंशन के हकदार होगें ।
   (ब) मृतक सदस्य की विधवा/विधुर को उप पैरा (2) (अ) (क) के अन्तर्गत देय मासिक विधवा पेंशन की राशि 25 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन प्रत्येक संतान के लिए देय होगी, किन्तु मृतक सदस्य के प्रत्येक बच्चे के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन रुपये 115/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी ।
   (स) मासिक संतान पेंशन
   (क) पुत्र के मामले में, जब तक कि वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, तथा विधि द्वारा मान्य गोद लिया गया पुत्र भी मान्य होगा ।
   (ख) अविवाहित पुत्री के मामले, जब तक कि वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या विवाह नहीं कर लेती, जो भी पहले हो । (विधि द्वारा मान्य गोद ली गयी अविवाहित पुत्री भी मान्य होगी)
   (ग) मासिक संतान पेंशन अधिकतम दो बच्चों को एक साथ देय होगी और वरिष्ठतम के कनिष्ठतम के क्रम में दी जायेगी ।

4. (अ) यदि मृतक सदस्य की कोई जीवित विधवा/विधुर न हो परन्तु परिवार की परिभाषा में आने वाले बच्चे जीवित हो या विधवा पेंशन देय नहीं हो तो वे बच्चे उप पैरा (2)(अ)(क) के अन्तर्गत देय मासिक विधवा/विधुर पेंशन की राशि के 75 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन के हकदार होगा किन्तु प्रत्येक अनाथ के लिए न्यूनतम मासिक अनाथ पेंशन रुपये 170/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी ।

(ब) विधवा/विधुर पेंशन स्वीकृत करने के पश्चात विधवा/विधुर की मृत्यु या पुनर्विवाह की दशा में बच्चे मासिक संतान पेंशन के बदले में विधवा/ विधुर की मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख के बाद से मासिक अनाथ पेंशन के हकदार होगें ।

5. सेवारत सदस्य जो अविवाहित हो या जिसके कोई जीवित पत्नी/पति और/या पात्र संतान न हो, वह विधि द्वारा मान्य नामांकन कर सकता है ।

12. **कार्यकर्ता पेंशन योजना के प्रारम्भ के समय पहले ही नियोजित कार्यकर्ताओं द्वारा दिये जाने वाला विवरण :-**

कार्यकर्ता पेंशन निधि का प्रत्येक सदस्य, विद्यापीठ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने बारे में तथा अपने परिवार के बारे में विवरण देगा ।

13. **अंशदान की पासबुक**

विद्यापीठ द्वारा कार्यकर्ता पेंशन निधि का सदस्य बनने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता के संबंध में पास बुक बनायी जाएगी जिसमें कार्यकर्ता का अंशदान तथा विद्यापीठ का अंशदान दर्ज होगा । 16.11.1995 से दस वर्ष के ठीक एक दिन पहले तक भविष्य निधि अंशदान की तरह ही उसी दर से ब्याज भी लगाया जाएगा । इस पास बुक का प्रयोग केवल 10 वर्ष से पूर्व सेवानिवृत होने या नौकरी छोडने की स्थिति में एक मुश्त भुगतान करने के लिए किया जाएगा किन्तु सदस्य की मृत्यु की दशा में यह भुगतान नहीं किया जाएगा ।

14. **परिलाभों का पूर्णांकन** :-

परिलाभों की प्रत्येक मद निकटतम रुपये में गिनी जाएगी, 50 पैसे या अधिक को पूरा रुपया माना जायेगा तथा रुपये के 50 पैसे के कम भाग को छोड दिया जाएगा ।

15. **कार्यकर्ता पेंशन निधि का मूल्याकंन तथा अंशदान तथा पेंशन और अन्य लाभों-परिलाभों के परिणाम का पुनरावलोकन**

इस योजना के अन्तर्गत देय अंशदान की दर या इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध परिलाभों की श्रंखला या इन परिलाभों को दिये जाने की अवधि में परिवर्तन किये जाने का अधिकार विद्यापीठ को होगा ।

16. **पेंशन तथा अन्य परिलाभों का वितरण :-**

इस योजना के अन्तर्गत पेंशन तथा अन्य लाभों का भुगतान एकाउन्ट पेयी चैक से ही किया जा सकेगा ।

17. पेंशन या अन्य लाभों के वितरण में आने वाली किसी भी कठिनाई को सुलझाने के लिए या इस योजना को लागू किये जाने में आने वाली कठिनाई को सुलझाने के लिए विद्यापीठ निर्देश जारी कर सकेगा ।

18. **कार्यकर्ता पेंशन योजना समिति :-**

वनस्थली विद्यापीठ स्टाफ प्रोविडेन्ट फण्ड ट्रस्ट की समिति की कार्यकर्ता पेंशन योजना की समिति होगी ।